

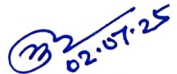
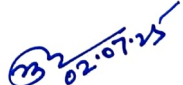
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 34/सन-2025- 26

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02.07.2025	<u>—:आदेश: —</u> यह विविध वाद अभिलेख सं०- 34/2025- 26 आवेदक श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता- सीताशरण साव, साकिन- धनवार, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा- धरवार, थाना नं०- 214, खाता सं०- 211 एवं 6 रैयती खाते की है। संलग्न लगान रसीद वर्ष 2013 - 14 के अनुसार पंजी- II के भाग सं०- IX पेज नं०- 203 पर जमाबंदी कायम था। हल्का में उपलब्ध भौतिक पंजी- II के भाग सं०- IX, पृष्ठ सं०- 203 क्षतिग्रस्त है। केवाला सं०- 3972, दिनांक- 29.03.2008 एवं लगान रसीद तथा दखल - कब्जा के आधार पर ऑनलाईन पंजी - II पर जमाबंदी कायम की जा सकती है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार के द्वारा नक्शा सहित मापी -सह- दखल कब्जा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन अनुसार 5.5 डी० भूमि पर जमाबंदी रैयत दखलकार है। वादगत भूमि का ऑनलाईन पंजी- II में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री/अंचल अमीन /अंचल निरीक्षक, धनवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मापी-सह- दखल-कब्जा संबंधित प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए लगान रसीद तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- धनवार/214 के ऑनलाईन पंजी-II में खाता सं०- 6, प्लॉट नं०- 191, रकवा- 0.5 डी०, तथा खाता सं०- 211, प्लॉट नं०- 200, रकवा- 5 डी० कुल रकवा- 5.5 डी० भूमि की ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	